न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
107 / 2020	28.07.2020	23.01.2023

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– जुवाहरीलाल आत्मज गणेश जाति धाकड़ निवासी डुंगरज्या हाल निवास प्रेमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा
2– महावीर पुत्र हीरा
3– भूली बेवा हीरा
4– दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल
5– शिवराज पुत्र छोटूलाल
6– शशिकला पुत्री छोटूलाल
7– मंजूबाई पुत्री छोटूलाल
8– शांतिबाई बेवा छोटूलाल
9– धनराज पुत्र रामपाल
10– चन्द्रकला पुत्री रामपाल
11– संतोष पुत्री रामपाल
12– भूलीबाई पुत्री रामपाल जाति धाकड निवासीगण डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – श्री तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है किः–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 12 तथा मृतक कान्तीबाई की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.92 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.70 है0, कुल किता 5 रकबा 2.38 है0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि मृतक कान्तीबाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है, जबकि मृतक कान्तीबाई का वास्तविक नाम कान्ही बाई है तथा पहचान के दरतावेजों आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में कान्ही बाई नाम ही अंकित है।

यह कि मृतक कान्तीबाई का नाम खाते से डिलीट करवाने हेतु आवेदन देने पर मृतक कान्ती बाई का नाम डिलीट करने प्रतिवादी नं0 1 के कर्मचारियों ने इंकार कर दिया , क्योंकि मृतक कान्ती बाई के नाम का कोई पहचान का दरतावेज नही है ओर मृतक का

त्यु प्रमाण पत्र भी कान्ही बाई के नाम से बना हुआ है जिससे मृतक कान्तीबाई के स्थान कान्ही बाई किया जाना आवश्यक है।

यह कि वाद कारण दिनांक 25.01.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 के अधिकारियो व कर्मचारियों को मृतक कान्ती बाई का नाम खाते से डिलीट करने हेतु निवेदन करने पर इंकार कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

1– कि ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 12 तथा मृतक कान्तीबाई की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 122 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.92 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.70 है0, कुल किता 5 रकबा 2.38 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी की माता का नाम कान्ती बाई के स्थान पर कान्ही बाई दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2– कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाई जावे।

वादनी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम डूंगरज्या की सम्वत 2071–2074

2– नकल छाया प्रति मत्यु प्रमाण पत्र कान्ही बाई

3– वोटर आईडी की छाया प्रति

4– शपथ पत्र जुवाहरीलाल

5– शपथ पत्र सहखातेदार दिनेश व महावीर

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के साथ जवाब दावा प्रस्तत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में कान्ती बाई व कान्ही बाई एक ही महिला होना प्रकट किया गया है एवं वादी की माता का नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, जवाब सरकार, राजस्व रिकार्ड के गहन अवलोकन करने पर वादी की माता का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। समस्त दस्तावेजात से वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 122 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 200 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.92 है0, खसरा नम्बर 584 रकबा 0.70 है0, कुल किता 5 रकबा 2.38 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में कान्ती बाई के स्थान पर कान्ही बाई उर्फ कान्ती बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद